



कार्यालय-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओड़िशा, भुवनेश्वर-751001

Office of the Pr. Accountant General (A&E), Odisha, Bhubaneswar-751001

सं.-का.आ./हिं.अनु.(ले.एवं हक.)/हिं.प्रो.यो./39/2024-25/07

दिनांक:16.05.2024

कार्यालय आदेश

विषय: सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेखन (डिक्टेशन) हेतु प्रोत्साहन योजना के संबंध में।

राजभाषा अनुभाग द्वारा दिनांक:15.01.2024 को जारी कार्यलय आदेश सं.-का.आ./हिं.अनु.(ले.एवं हक.)/हिं.प्रो.यो./39/2023-24/56 के संदर्भ में पुनः सूचित किया जाता है कि राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.॥12013/87-रा.भा.(क-2) दिनांक:16 फरवरी 1988 के अंतर्गत कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रमुख शर्तें निम्नवत हैं:-

1. प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत होने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा तय मापदंड के अनुसार "ग" क्षेत्र के कार्यालय/विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम 10000 शब्द मूल रूप से हिंदी में लिखा जाना अनिवार्य है। कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इंदराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किया जाएगा।
2. प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न प्रपत्र में अपने हिंदी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे। हिंदी में किए कार्यों के लेखे-जोखे प्रत्येक सप्ताह उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रति-हस्ताक्षरित किए जाएंगे। यदि अनुभाग अधिकारी स्वयं लेखा-जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा। वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी हिंदी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रति हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा। यदि प्रति-हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतया निगरानी और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्यौरा देना होगा।
3. मूल रूप से हिंदी में कार्य करने के लिए पुरस्कृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन हेतु मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएंगे। इनमें से 70 अंक हिंदी में किए गए काम की मात्रा और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे।
4. जिन प्रतिभागियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा जिसका निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा क्रम में ऊपर हैं।
5. राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या ॥12013/18/93-रा.भा.(नी-2), दिनांक 16 सितंबर, 1998 के तहत अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक श्रुतलेख (डिक्टेशन) हिंदी में देने के लिए पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि रुपये 5000/- निर्धारित है। इस योजना में ऐसे

अधिकारी शामिल हो सकते हैं जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है या जो सामान्यतः डिक्टेशन देते हैं। संबंधित अधिकारी या उनके स्टेनो/निजी सहायक द्वारा डिक्टेशन का डाटा रखा जा सकता है।

6. राजभाषा विभाग के पत्रांक:12013/01/2011-रा.भा. (नीति), दिनांक 14 सितंबर, 2016 के अनुसार कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार राशि का विवरण निम्नवत् है:-

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) प्रत्येक रु. 5000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) प्रत्येक रु. 3000/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) प्रत्येक रु. 2000/-

7. पुरस्कार जीतने संबंधी उल्लेख संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा विवरणी में भी किया जाएगा।
कार्यालय के सभी अधिकारी/ कर्मचारी जिन्होंने वर्ष 2023-24 (01.04.2023-31.03.2024) के दौरान कम से कम 10000 शब्द मूल रूप से हिन्दी में लिखा हो वे अपने हिन्दी में किए गए कार्य का ब्योरा आदेश में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुरूप संलग्न प्रपत्र में संबंधित उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापित कराने के पश्चात राजभाषा अनुभाग को दिनांक: 30.05.2024 तक अवश्य प्रेषित करें। ध्यातव्य हो कि पुरस्कार हेतु कार्मिकों का चयन राजभाषा विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित निर्देशों के अनुसार गठित की जाने वाली मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

सभी नियंत्रक शाखा अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त अनुभागों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान न्यूनतम 10000 शब्द हिन्दी में लिखा हो उनके हिन्दी कार्य का ब्योरा राजभाषा अनुभाग में भिजवाने हेतु अनुभागों को निदेशित करें। साथ ही मौजूदा वर्ष 2024-25 के दौरान अधिकारियों/ कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने तथा प्रोत्साहन योजना में भाग लेने हेतु प्रेरित करें।

नोट:-उक्त योजना के लिए आशुलिपिक/टाईपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं तथा हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक, जो सामान्यतः अपना काम हिन्दी में करते हैं, इस योजना में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

संलग्न: यथोपरि

हस्ता/-

वरि. उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अघोषित:-

1. प्रधान महालेखाकार के वरिष्ठ निजी सचिव/प्र.म.ले सचिवालय
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन), उप महालेखाकार (पेशन), उ.म.ले. (निधि) एवं उ.म.ले (लेखा एवं वीएलसी) के निजी सहायक।
3. नियंत्रक शाखा अधिकारी-प्रशासन-I, प्रशासन-II, ओई, पीएओ, रिकार्ड, ईडीपी, टीएम, पीएम, एफएम, कल्याण एवं आईएडी। (कृपया इसे अपने सभी अधीनस्थ अनुभागों में परिचालित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित करें)
4. वरि. लेखा अधिकारी, ईडीपी, कृपया इसे कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का प्रबंध करें।
5. सूचना पट्ट।
6. गार्ड फाईल।

मनोज्ञ फाजिलगी
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (राजभाषा) 11/05/2024

टिप्पण/आलेखन हेतु प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी----- का -----को
समाप्त होने वाले सप्ताह में हिंदी के मूल काम की साप्ताहिक विवरणी।

क्र.सं.	तिथि	कुल फाईलों, रजिस्ट्रों आदि की संख्या जिनमें हिंदी में काम किया गया।	हिंदी में लिखे गए टिप्पण और आलेखन के शब्दों की संख्या।	हिंदी में किए गए काम का संक्षिप्त ब्यौरा और शब्दों की संख्या	उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर सप्ताह में एक बार।
1.	2.	3.	4.	5.	6.

श्रुतलेखन (डिक्टेशन) हेतु प्रपत्र

हिंदी में अधिक से अधिक डिक्टेशन से संबंधित पुरस्कार योजना के अंतर्गत रखे जाने वाले रिकार्ड का प्रोफार्मा।

क्र.सं	दिनांक	डिक्टेशन से लिखे गए शब्दों की संख्या	फाईल संख्या	टिप्पणी